भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ग्राम–पताड़ी, पहंदा, खोड्डल, सरगबुंदिया, ढनढनी, सण्डैल, कटबितला व बरीडीह, तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा(छ.ग.) द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार के तहत् सुपर क्रिटीकल तकनीक पर आधारित 2x660 मेगावाट प्रस्तावित विद्युत संयंत्र (यूनिट क्रमांक 5 व 6) की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 07.01.2012 का कार्यवाही विवरण

———————————————————————————————————

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ग्राम–पताड़ी, पहंदा, खोड्डल, सरगबुंदिया, ढनढनी, सण्डैल, कटबितला व बरीडीह, तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा(छ.ग.) द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार के तहत् सुपर क्रिटीकल तकनीक पर आधारित 2x660 मेगावाट प्रस्तावित विद्युत संयंत्र (यूनिट क्रमांक 5 व 6) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कलेक्टर कोरबा, अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 07.01.2012, दिन–शनिवार को इमलीभांठा(सरगबुंदिया) प्रभावित ग्राम, तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा में लोक सुनवाई की गई।

प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की लोक सुनवाई प्रभावित ग्राम रिसदियापारा (सरगबुंदिया) में कराया जाना निर्धारित किया गया था किंतु समीपस्थ प्रभावित ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा लोक सुनवाई कार्यक्रम को सम्पन्न न होने देने की नियत से लोक सुनवाई के पैनल के सदस्यों (अपर कलेक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी) को लोक सुनवाई स्थल से लगभग 1 कि.मी. दूरी पर इमलीभांठा(सरगबुंदिया) में ही घेराव करते हुए मार्ग पर अवरोध उत्पन्न कर दिया गया था। अपर कलेक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों/जनमानस को समझाईश देने के बाद भी ग्रामीणों ने रास्ता रोक रखा था। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि, हम लोगों को आगे जाने नहीं देंगे यहीं पर लोक सुनवाई करें।

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीणों को समझाने हेतु कलेक्टर, कोरबा एवं पुलिस अधीक्षक, कोरबा इमलीभांठा (सरगबुंदिया) पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में लोक सुनवाई इमलीभांठा (सरगबुंदिया) में निर्धारित समय से न होकर विलंब से दोपहर 3.00 बजे प्रारंभ की गई। प्रभावित रिसदियापारा एवं इमलीभांठा पृथक से राजस्व ग्राम नहीं है। अपितु ये प्रभावित सरगबुंदिया राजस्व ग्राम के आश्रित पारा(मोहल्ला) है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया कि हम अपनी जमीन लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि लैंको प्रबंधन द्वारा पूर्व में अर्जित की गई भूमि का न तो उचित मुआवजा दिया गया और न ही नौकरी/स्वरोजगार प्रदान किया गया है और न ही प्रभावित ग्रामों में सामुदायिक विकास के कार्य किए गए हैं।

मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ग्राम–पताड़ी, पहंदा, खोड्डल, सरगबुंदिया, ढनढनी, सण्डैल, कटबितला व बरीडीह, तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार के तहत् सुपर क्रिटीकल तकनीक पर आधारित 2x660 मेगावाट प्रस्तावित विद्युत संयंत्र (यूनिट क्रमांक 5 व 6) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 06.01.2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में **01** चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 07.01.2012 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में **05** चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल **06** चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का पूर्ण अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **18** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं :–

1. मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ग्राम पताढ़ी, पहंदा, खोड्डल, सरगबुंदिया, ढ़नढ़नी, सण्डैल, कटबितला व बरीडीह के किसानों की जो भूमि पूर्व में लैंको प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित की गई उन्हें आज दिनांक तक उचित मुआवजा एवं नौकरी प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2. जन सुनवाई के दौरान स्थल पर उपस्थित व्यक्ति/प्रभावित कृषकों का मत था कि हम अपनी जमीन लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड को नहीं देना चाहते, क्योंकि लैंको प्रबंधन द्वारा न तो उचित मुआवजा दिया जाता है और न ही योग्यता के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराई जाती है।

3. लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा प्रभावित ग्रामों में सामुदायिक विकास जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

4. यह कि लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के पश्चिम दिशा में जोगी नाला प्रवाहित है। जिसमें हमेशा पानी उपलब्ध रहता है, उक्त जल का उपयोग ग्रामीणों द्वारा निस्तार के तौर पर किया जाता है। उक्त जोगी नाला में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा केमिकल एवं राखड़ युक्त पानी बहाया जाता है, जिसके उपयोग से जानवरों की मृत्यु एवं वहाँ वे लोगों को चर्म रोग जैसी बिमारियाँ हो रही है।

5. लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा संचालित 600 मेगावॉट विद्युत संयंत्र से आसपास के ग्रामीणों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।

6. लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड की संचालित इकाई की चिमनी से निकलने वाला धुआँ /राखड़ घरों में आकर पट जाता है। जो कि अत्यधिक मात्रा में है। समीपस्थ कृषि भूमि राखड़ से प्रभावित हो रही है।

7. लैंको प्रबंधन को (क्षमता विस्तार) के अन्तर्गत हम समस्त ग्रामीण अपनी शेष जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो किस बात की लोक सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।

8. प्रबंधन द्वारा संयंत्र निर्माण के दौरान जो गड्ढे/होल किये जाते हैं, उसके कारण भू–जल का स्तर गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

उपरोक्त समस्त चिंताओं की टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में संस्थान के कार्यपालक निदेशक, मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा निम्नानुसार लिखित जानकारी प्रदान की गई :–

1. एल.ए.पी.एल. द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य की पुनर्वास नीति के आधार पर किया गया है। एल.ए.पी.एल. द्वारा इकाई क्रमांक 1 व 2 के पी.ए.पी. को रोजगार प्रदान किया गया है। इसी तरह का प्रावधान विस्तार इकाईयों के लिये भी रखा गया है। एल.ए.पी.एल. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की पुनर्वास नीति का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

2. यह सही नहीं है। अपितु एल.ए.पी.एल. द्वारा रोजगार एवं मुआवजा सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की पुनर्वास नीति के प्रावधानों के तहत दिया गया है।

3. यह सही नहीं है। एल.ए.पी.एल.द्वारा सामाजिक विकास के विभिन्न कार्य किये गये हैं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केन्द्र जो लैंको फाउण्डेशन द्वारा स्थापित है की सेवायें, प्रभावित ग्रामों में पेयजल सुविधायें, नियमित चिकित्सा शिविर, तालाबों का उन्नयन, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, ग्रामीण छात्र–छत्राओं को छात्रवृत्ति तथा स्वरोजगार लैंको फाउण्डेशन के मुख्य कियाकलाप हैं। इसकी प्रशंसा न सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा अपितु विभिन्न विभागों तथा ग्रमीण समुदायों में जिनको प्रत्यक्ष फायदा हुआ है द्वारा भी किया गया है। एल.ए.पी. एल. द्वारा आगे भी समाजिक विकास के कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे।

4. एल.ए.पी.एल. द्वारा जोगी नाले में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल प्रवाह नहीं किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रदूषित जल या राखड़ युक्त जल प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। संयंत्र के सभी अपशिष्ट

पदार्थों को नियमानुसार उपचारित किया जा रहा है तथा उपचारित जल को संयंत्र के भीतर ही पुनः उपयोग किया जा रहा है।

5. संचालित 600 मेगावॉट विद्युत संयंत्र के परिचालन से किसी भी प्रकार ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्य ध्वनि उत्पादक उपकरण जैसे टरबाईन जेनरेटर इत्यादी पूर्णतया कारखाने में संरक्षित किया गया है।

6. एल.ए.पी.एल. द्वारा इकाईयों को उच्च क्षमता के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ई.एस.पी.) द्वारा सुसज्जित किया गया है जो उत्सर्जन की सीमा को 100 मिलीग्राम/घनमीटर तक सीमित करता है। ई.एस.पी. के अतिरिक्त ड्यूल फ्लू गैस कण्डीशनिंग प्रणाली भी स्थापित एवं संचालित है जो सी.ई.सी.बी. तथा एम.ओ.ई.एफ. के निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है।

7. यह जन सुनवाई प्रस्तावित विस्तार परियोजना के तहत इकाई क्रमांक 5 व 6 के पर्यावरणीय बिन्दुओं पर जनता के विचारों को जानने के लिये है जो पर्यावरण व वन मंत्रालय के एस.ओ. 1533 के अनुसार है।

8. एल.ए.पी.एल. द्वारा भूमि खुदाई क्रियाकलाप विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु भवनों / संरचनाओं के नींव डालने के लिये किया जाता है जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे किसी भी प्रकार का भू–जल स्तर प्रभावित नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया है एवं सभी खुदाई किये गये स्थानों को पुनः भर दिया जाता है। एल.ए.पी.एल. द्वारा किसी भी प्रकार से निर्माण या संयंत्र प्रचालन के लिये भू–जल का उपयोग नहीं किया जाता है। संयंत्र के लिये उपयोगी जल को हसदेव नदी से लाकर जल भंडारण केन्द्र में जमा किया गया है। एल.ए.पी.एल. द्वारा पृथक से स्टार्म वाटर ड्रेनेज तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उद्योग को प्रदत्त टी.ओ.आर. दिनांक 24.08.2010 के अनुक्रम में प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के पूर्व नियमानुसार पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 14 सितंबर 2006 में निहित प्रावधानों के तहत् लोक सुनवाई दिनांक 07.01.2012 को ग्राम

रिसदियापारा(सरगबुंदिया) प्रभावित ग्राम में निर्धारित की गई थी परंतु प्रभावित ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध के चलते लोक सुनवाई इमलीभांठा(सरगबुंदिया) प्रभावित पारा (मोहल्ला) में सम्पन्न कराई गई। प्रभावित रिसदियापारा एवं इमलीभांठा पृथक से राजस्व ग्राम नहीं है। अपितु ये प्रभावित सरगबुंदिया राजस्व ग्राम के आश्रित पारा(मोहल्ला) है। समय सीमा में कार्यवाही प्रारंभ न होकर अपरान्ह 3.00 बजे प्रारंभ की गई, जिसमें प्रभावित ग्रामों के ग्रामीण जन एवं कृषक उपस्थित थे। लोक सुनवाई की समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी की गई है।

लोक सुनवाई में लिखित में प्राप्त कुल **06** चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ, लोक सुनवाई के दौरान **18** व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई की विडियो फिल्म (असंपादित सी.डी.) के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा (छ.ग.)	ए.डी.एम., जिला–कोरबा (छ.ग.)	कलेक्टर जिला–कोरबा (छ.ग.)